प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद मिर्जापुर।

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./किशोर स्वास्थ्य/21/2022–23/5137 दिनांकः 18-10-2022

विषयः– राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 13–15 सितम्बर 2022 के मध्य किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र सं0 SPMU/NHM/M&E/2022-23/04/2566-2, दिनांक 19.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके क्रम में, राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक **13–15 सितम्बर 2022** तक जनपद **मिर्जापुर** की जनपद व ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों, हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर, आर0बी0एस0के0 टीमों के प्लान के अनुसार स्कूल भ्रमण तथा नगरीय प्राथमिक चिकित्सालय का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया।

राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद की चिकित्सा इकाईयों का स्थलीय पर्यवक्षण के दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कराकर अपनी आख्या/कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को आगामी 15 कार्यदिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः पर्यवेक्षण आख्या।

भवदीया
Aparna U
(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./किशोर स्वास्थ्य/21/2022–23 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद मिर्जापुर।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/अनुभागाध्यक्ष, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, मिर्जापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, मिर्जापुर को पर्यवेक्षण रिपोर्ट के सापेक्ष आवश्यक कार्यवाही एवं आख्या हेतु प्रेषित।
6. डी.सी.पी.एम., परामर्शदाता, मातृ स्वास्थ्य, डी.ई.आई.सी. मैनेजर एवं अर्बन हेल्थ को–आर्डिनेटर, एन.एच.एम, मिर्जापुर उ0प्र0।

(अनामिका मिश्रा)
महाप्रबंधक–एम.एण्ड ई.

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद मिर्जापुर।

पत्रांकः—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./किशोर स्वास्थ्य/21/2022—23/ दिनांकः 18-10-2022

विषयः— राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 13—15 सितम्बर 2022 के मध्य किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र सं0 SPMU/NHM/M&E/2022-23/04/2566-2, दिनांक 19.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके क्रम में, राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक **13—15 सितम्बर 2022** तक जनपद **मिर्जापुर** की जनपद व ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों, हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर, आर0बी0एस0के0 टीमों के प्लान के अनुसार स्कूल भ्रमण तथा नगरीय प्राथमिक चिकित्सालय का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया।

राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद की चिकित्सा इकाईयों का स्थलीय पर्यवक्षण के दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कराकर अपनी आख्या/कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को आगामी 15 कार्यदिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः पर्यवेक्षण आख्या।

भवदीया

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांकः—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./किशोर स्वास्थ्य/21/2022—23/5137-6 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित—

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद मिर्जापुर।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/अनुभागाध्यक्ष, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, मिर्जापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, मिर्जापुर को पर्यवेक्षण रिपोर्ट के सापेक्ष आवश्यक कार्यवाही एवं आख्या हेतु प्रेषित।
6. डी.सी.पी.एम., परामर्शदाता, मातृ स्वास्थ्य, डी.ई.आई.सी. मैनेजर एवं अर्बन हेल्थ को—आर्डिनेटर, एन.एच.एम, मिर्जापुर उ0प्र0।

(अनामिका मिश्रा)
महाप्रबंधक—एम.एण्ड ई.

Scanned with OKEN Scanner

राज्य स्तरीय सपोर्टिव सुपरविजन विजिट आख्या

जनपद–मिर्जापुर

भ्रमण अवधि–दिनांक 13.09.2022 से 15.09.2022

मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 13 से 15 सितम्बर 2022 के मध्य जनपद–मिर्जापुर का भ्रमण कर एल–3, एल–2 व एल–1 स्तर की स्वास्थ्य इकाईयों, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर तथा सामुदायिक गतिविधि का अवलोकन किया गया। भ्रमण के अन्तिम दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क कर डिब्रीफिगं भी किया गया। भ्रमण रिपोर्ट निम्नानुसार है–

पर्यवेक्षण के दौरान आच्छादित की गई इकाईयॉं

1. जिला पुरुष व महिला चिकित्सालय।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़िहान व राजगढ़।
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कोन।
4. वी0एच0एन0डी0 सत्र प्रा0पा0 ढबिया, उपकेन्द्र–सेमरा, वि0ख0–कोन।
5. उच्च प्रा0विद्यालय चेतगंज, वि0ख0–कोन में आर0बी0एस0के0टीमों का स्थलीय पर्यवेक्षण्ङ्ग
6. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, लखनपुर, वि0ख0–कोन।
7. नगरीय प्राथमिक स्वा0के0 / हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, संघमोहाल।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–मड़िहान, **सम्पर्क अधिकारी–डा0 एम0एस0चौधरी, चिकित्सा अधीक्षक।**

अवलोकन बिन्दु	सुझाव / कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
चिकित्सालय परिसरः–		
परिसर व कक्ष साफ–सुथरे पाये गये। प्रवेश द्वार पर स्ट्रेचर आदि रखे हुए थे।	नियमित रुप से परिसर की साफ–सफाई को मेंण्टेन करने का निर्देश दिया गया एवं स्ट्रेचर को हटवाया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
परिसर के अन्दर शिकायत पेटिका लगी थी, किन्तु शिकायते नहीं पायी गयीं।	शिकायत निवारण कमेटी का गठन व रिकार्ड मेण्टेन नियमित रूप से किया जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
5'5 मैट्रिक्स डिस्प्ले नही था। ई0डी0एल0 का प्रदर्शन किया गया था, किन्तु हेल्प डेस्क केबिन से ढका हुआ था।	जनपद स्तर से 5'5 मैट्रिक्स प्राप्त करने तथा अपडेटेड ई0डी0एल0 का प्रदर्शन प्रतिदिन करने का निर्देश दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / फार्मासिस्ट
आई0ई0सी0ः–		
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 उपलब्ध थी। किन्तु पर्याप्त नहीं थी।	विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई0ई0सी0 जनपद स्तर से प्राप्त कर यथा स्थान पर डिस्प्ले कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
बायो मेडिकल वेस्ट–		
चिकित्सालय में डस्टबिन उपलब्ध थीं। सही प्रकार से उपयोग भी किया जा रहा था।	बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सम्बन्धित समस्त स्टाफ का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराने हेतु कहा गया।	चिकित्सा अधीक्षक
मानव संसाधनः–		
सामु0 स्वा0केन्द्र में पर्याप्त स्थान होने व अधिकांश सेवाये प्रदान किये जाने के बावजूद भी बी0पी0एम0यू0 पी0एच0सी0 पर संचालित हो रही है।	बी0पी0एम0यू0 को नियमानुसार सी0एच0सी0 पर संचालित कराने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध किया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी
स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ तथा एनेस्थेटिस्ट नियुक्त हैं।	सिजेरियन प्रसव एवं प्रसव पश्चात तथा गर्भसमापन पश्चात नसबन्दी सेवायें नही प्रदान की जा रही हैं।	मुख्य चिकित्साधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक
स्टाफ नर्स व ए0एन0एम0 स्वीकृत पद के सापेक्ष काफी कम हैं।	मानव संसाधन की उपलब्धता हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर मानव संसाधन उपलब्ध कराना	मुख्य चिकित्साधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक
एक्सरे कक्षः–		
टेली रेडियोलॉजी स्कैनर खराब है। जिसके लिए सम्बन्धित एजेन्सी को चिकित्सालय स्तर से सूचित किया गया है किन्तु मरम्मत नहीं करायी गयी।	अविलम्ब मरम्मत कराकर क्रियाशील कराया जाना आवश्यक है। जिससे उपयोग में लाया जा सके।	मुख्य चिकित्साधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक

Scanned with OKEN Scanner

मातृत्व स्वास्थ्यः–		
लेबर रूमः– पी0पी0एच0 के प्रबन्धन के बारे में स्टाफ नर्सों को जानकारी नहीं थी। प्रसव कक्ष में पी0पी0एच0 किट की आवश्यकतानुसार व्यवस्था नही थी। रजिस्टर के अन्त में संक्षिप्त जानकारी प्रपत्र के बारे में उपस्थित स्टाफ नर्सो को भी उचित जानकारी नहीं थी।	एम0एन0एच0 टूल का अध्ययन करने व सेवन (सात) ट्रे, एस0बी0ए0 प्रोटाकाल पोस्टर्स आदि लगवाने का सुझाव दिया गया। प्रसव कक्ष में पी0पी0एच0 किट की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। प्रत्येक माह के अन्त में माह की रिपोर्ट का अंकन करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही जानकारियॉ प्रदान की गई।	सम्बन्धित स्टाफ
प्रसूता नैन्सी पत्नी मंसूरी का प्रसव भ्रमण तिथि को सुबह 07.30 पर हुआ था जिसकी केशसीट अपराहन तक नहीं भरी गयी थी। अन्य रिकार्ड भी अपूर्ण थे। इसके साथ–साथ पुराने लाभार्थियों के केसशीट का अवलोकन किया गया जो अपूर्ण थे।	रिकार्ड के रख–रखाव के सम्बंध में जानकारी प्रदान की गयी।	सम्बन्धित स्टाफ
प्रसव कक्ष में दो टेबल, डिजिटल घड़ी, हाइटोमीटर आदि उपलब्ध थे। टेबल काफी पुराने व जंग लगे हुए थे। हाउस कीपिंग चेकलिस्ट जुलाई के बाद से अपडेट नही की गयी थी।	प्रसव कक्ष में डिजिटल घड़ी, हाइटोमीटर आदि क्रियाशील रखने का सुझाव दिया गया। टेबल की सफाई करायी गयी तथा प्रसव कक्ष को मानकानुसार मेण्टेन करना सुनिश्चित किया जाये।	चिकित्सा अधीक्षक व सम्बन्धित स्टाफ
रेफरल सिस्टम व्यवस्थित रूप से नहीं पाया गया।	रेफरलसिस्टम को सुदृढ़ किये जाने हेतु सुझाव दिया गया। रेफरल इन व आउट के रिकार्ड सही प्रकार से रखने की जानकारी दी गई।	सम्बन्धित स्टाफ
जे0एस0एस0के0 डाईट के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन का साईन बोर्ड पी0एन0सी0 वार्ड में लगा हुआ पाया गया। डायट रजिस्टर की सूचनायें अपूर्ण थी। चिकित्साधिकारी से डायट रजिस्टर सत्यापित भी नहीं कराया जा रहा है।	जे0एस0एस0के0 डाईट के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता मेण्टेन करने तथा प्रतिदिन रिकार्ड मेण्टेन करने व चिकित्साधिकारी से डायट रजिस्टर सत्यापित का अनुरोध किया गया।	चिकित्सा अधीक्षक व सम्बन्धित स्टाफ
बाल स्वास्थ्य :–		
टीकाकरण कक्ष के बाहर प्रचार–प्रसार सम्बन्धी प्रदर्शन पर्याप्त नहीं था। समस्त फ्रीज कार्य करते हुए पाये गये तथा उनमें वैक्सीन उपयुक्त प्रकार से रखी हुई पाई गई।	आई0ई0सी0 सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।	सम्बन्धित स्टाफ
परिवार नियोजन–		
02 कण्डोम बाक्स लगा था। दोनों कण्डोम बाक्स भ्रमण के दोरान खाली पाये गये।	कण्डोम बाक्स भरवाया गया तथा कण्डोम बाक्स प्रतिदिन भरने व रिकार्ड मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	फार्मासिस्ट
चिकित्सालय के ओ0पी0डी0 कक्ष में काउन्सलिंग स्टाम्प उपलब्ध नहीं पायी गयी।	काउन्सलिंग स्टाम्प बनवाने व प्रत्येक सेवाप्रदाता द्वारा काउन्सलिंग करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक व सम्बन्धित स्टाफ
अन्तरा, पी0पी0आई0यू0सी0डी0, आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन बहुत कम हो रहे हैं। अगस्त माह में 58 प्रसव के सापेक्ष मात्र 01 पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन हुआ, 01 आई0यू0सी0डी0 व 03 अन्तरा लगे तथा फालोअप के रिकार्ड मेण्टेन नहीं किये जा रहे हैं।	परिवार नियोजन सेवायें बढ़ाने व शत प्रतिशत फालोअप किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शनव अन्तरा हेतु लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन/क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किये जाने हेतु खाता संख्या का अंकन बहुत कम किया गया था। अवलोकन के दौरान पाया गया कि	सेवा प्रदाताओं व लाभार्थियों को प्रदान की जानेवाली प्रोत्साहन/क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नियमित रुप से किये जाने हेतु सभी के खाता संख्या का अंकन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	सम्बन्धित स्टाफ नर्स/ब्लाक लेखा प्रबन्धक

सम्बन्धित स्टाफ द्वारा फॉलोअप कर सभी लाभार्थियों के खाता संख्या का अंकन नहीं किया जा रहा है।		
स्टोर रुम–		
फार्मासिस्ट श्री उदयभान सिंह दो माह पूर्व ज्वाइन किये हैं जिनकों एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से परिवार नियोजन सामग्रियों के इण्डेण्ट आदि की जानकारी नहीं थी।	एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल पर ओरिऐण्टेशन कराकर सामग्रियों का रख रखाव पोर्टल के माध्यम से किये जाने का निर्देश दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक व जिला परिवार नियोजन विशेषज्ञ (टी0एस0यू0)
एन0सी0डी0–		
एन0सी0डी0 काउन्सलर के कक्ष में किसी प्रकार का आई0ई0सी0 उपलब्ध नहीं था। काउन्सलर द्वारा सिर्फ ग्लूकोमीटर का उपयोग कर मधुमेह की जॉच की जा रही थी। काउन्सलिंग नहीं किया जा रहा था व रिकार्ड अपडेट नहीं था	आई0ई0सी0 का सही प्रकार से डिस्प्ले करने, काउन्सलिंग करने व रिकार्ड मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–राजगढ़, **सम्पर्क अधिकारी–डा0 संतलाल, चिकित्सा अधीक्षक।**

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
चिकित्सालय परिसरः–		
परिसर के अन्दर शिकायत पेटिका लगी थी, किन्तु शिकायते नहीं पायी गयीं।	शिकायत निवारण कमेटी का गठन व रिकार्ड मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
5'5 मैट्रिक्स डिस्प्ले नही था। ई0डी0एल0 का प्रदर्शन अपडेट नहीं था।	जनपद स्तर से 5'5 मैट्रिक्स प्राप्त करने तथा अपडेटेड ई0डी0एल0 का प्रदर्शन प्रतिदिन करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक/फार्मासिस्ट
आई0ई0सी0:–		
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 उपलब्ध थी। किन्तु प्र्याप्त नहीं थी।	विभिन्न कार्यकमों की अपडेटेड आई0ई0सी0 जनपद स्तर से प्राप्त कर यथा स्थान प्रदर्शित कराये जाने के लिए कहा गया।	चिकित्सा अधीक्षक
इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं मानव संसाधनः–		
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजगढ़ के अन्तर्गत 26 उपकेन्द्र, 16 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर तथा 04 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। 16 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के भवन, ब्रांडिंग, पैथोलाजी, ई0डी0एल0 व आवश्यक उपकरणों की मानकानुसार उपलब्धता नहीं होने तथा समस्याओं का सामना करने सम्बन्धी जानकारी सी0एच0ओ0 द्वारा दी गई।	16 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के भवन, ब्रांडिंग, पैथोलाजी, ई0डी0एल0 व आवश्यक उपकरणों की मानकानुसार उपलब्धता कराने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक
बायो मेडिकल वेस्ट–		
चिकित्सालय में डस्टबिन उपलब्ध थीं। डस्टबिन में अलग–अलग रंग की पॉलीथिन थी। सही प्रकार से उपयोग भी किया जा रहा था।	बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सम्बन्धित समस्त स्टाफ का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराया जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
मातृत्व स्वास्थ्यः–		
लेबर रूमः– पी0पी0एच0 के प्रबन्धन के बारे में स्टाफ नर्सों को जानकारी नहीं थी। प्रसव कक्ष में पी0पी0एच0 किट की आवश्यकतानुसार व्यवस्था नही थी। रजिस्टर के अन्त में संक्षिप्त जानकारी प्रपत्र के बारे में उपस्थित स्टाफ नर्सो को भी उचित जानकारी नहीं थी।	एम0एन0एच0 टूल का अध्ययन करने व सेवन (सात) ट्रे, एस0बी0ए0 प्रोटाकाल पोस्टर्स आदि लगवाने का सुझाव दिया गया। प्रसव कक्ष में पी0पी0एच0 किट की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। प्रत्येक माह के अन्त में माह की रिपोर्ट का अंकन करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही जानकारियॅां प्रदान की गईं।	सम्बन्धित स्टाफ नर्स

रेफरल सिस्टम व्यवस्थित रूप से नहीं पाया गया।	रेफरल सिस्टम को सुदृढ़ किये जाने हेतु सुझाव दिया गया। रेफरलइन व आउट के रिकार्ड सही प्रकार से रखने की जानकारी दी गई।	सम्बन्धित स्टाफ नर्स
प्रसव पंजिका में कई लाभार्थियों की प्रसव तिथि का अवलोकन करने में पाया गया कि प्रसव तिथि के अनुसार पंजिका में सूचना पृथक–पृथक दिवसों की सूचना क्रमवार न होकर आगे पीछे दर्ज की गई थी।	अधीक्षक एवं सम्बन्धित पैरामेडिकल स्टाफ को गलतियों से अवगत कराया गया एवं निर्देश दिये गये इस प्रकार की पुनरावृत्ति अभिलेखों में भविष्य में न की जायें।	अधीक्षक एवं पैरामेडिकल स्टाफ
बाल स्वास्थ्य :–		
टीकाकरण कक्ष के बाहर प्रचार–प्रसार सम्बन्धी प्रदर्शन पर्याप्त नहीं था। समस्त फ्रीज कार्य करते हुए पाये गये तथा उनमें वैक्सीन उपयुक्त प्रकार से रखी हुई पाई गई।	आई0ई0सी0 सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।	सम्बन्धित स्टाफ नर्स
परिवार नियोजन–		
लेप्रास्कोप खराब होने की जानकारी प्राप्त हुई।	खराब लेप्रास्कोप के मरम्मत अथवा नये लेप्रोस्कोप की मॉग हेतु जनपद स्तर से राज्य स्तर को पत्र प्रेषित किये जाने के लिये कहा गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक
कण्डोम बाक्स भरे हुए पाये गये। परन्तु उसका रिकार्ड मेण्टेन नहीं किया जा रहा है।	कण्डोम बाक्स प्रतिदिन भरने व रिकार्ड मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	फार्मासिस्ट
पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन फालोअप के रिकार्ड मेण्टेन नहीं किये जा रहे हैं।	पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन फालोअप का फालोअप की वास्तविक तिथि का अंकन किये जाने के लिए कहा गया।	सम्बन्धित स्टाफ नर्स
पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शनव अन्तरा हेतु लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन/क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किये जाने हेतु खाता संख्या का अंकन बहुत कम किया गया था।	सेवा प्रदाताओं व लाभार्थियों को प्रदान की जानेवाली प्रोत्साहन/क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नियमित रुप से किये जाने हेतु सभी के खाता संख्या का अंकन किये जाने का निर्देश दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ नर्स
नसबन्दी केसेज के रिकार्ड समुचित नहीं भरे जा रहे हैं तथा लाभार्थियों को फॉलोअप कार्ड व प्रमाणपत्र का वितरण नहीं किया जा रहा है।	समस्त रिकार्ड पूर्ण रुप से भरे जाने तथा फॉलोअप कार्डस का वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।	सम्बन्धित स्टाफ नर्स
गर्भनिरोधक सामग्रियों का फिजिकल स्टाक तथा पोर्टल स्टाक मैच नहीं हो रहा था।	गर्भनिरोधक सामग्रियों का फिजिकल स्टष्क तथा पोर्टल स्टाक मैच कराने एवं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इंडेंट करने एवं पोर्टल उपयोग करने की सलाह दी गई।	फार्मासिस्ट
साथिया केन्द्र (किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक)–		
किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर के पास अप्रेन, बैच कम्प्यूटर, प्रिण्टर, आउटरीच बैनर उपलब्ध नहीं पाया गया।	पर्याप्त लाजिस्टिक की अविलम्ब उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये कहा गया।	चिकित्सा अधीक्षक
काउन्सलिंग सेवाओं के रजिस्टर का रिकार्ड अपूर्ण पाया गया एवं मासिक रिपोर्ट भी गलत सूचनाओं सहित भरी गयी थी।	रिकार्ड कीपिंग सही प्रकार से मेण्टैन करने की जानकारी प्रदान की गई।	सम्बन्धित स्टाफ
विफ्स एवं एन.डी.डी. कार्यक्रम		
ब्लाक पर शिक्षा एवं आई.सी.डी.एस. विभाग से विफ्स रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही है।	शिक्षा विभाग एवं आई.सी.डी.एस. विभाग से प्रतिमाह विफ्स कवरेज रिपोर्ट प्राप्त कर यू.पी.एच.एम.आई.एस. पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करना सुनिश्चित किया जाये।	चिकित्सा अधीक्षक

Scanned with OKEN Scanner

जुलाई माह में एन.डी.डी. कार्यक्रम ब्लाक में आयोजित किया गया था। परन्तु समस्त ए.एन.एम. की एन.डी.डी. रिपोर्ट ब्लाक पर उपलब्ध नहीं थी, जबकि संकलित रिपोर्ट जनपद स्तर पर प्रेषित की गयी है।	कार्यक्रम की उपकेन्द्र स्तर एवं संकलित रिपोर्ट ब्लाक पर पत्रावली में रक्षित किया जाये।	बी.सी.पी.एम.
आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम–		
आर0बी0एस0के0 की टीमें माइक्रोप्लान के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण सत्र करने नहीं जा रही है।	माइक्रोप्लान मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
जनपद में एक ही गाड़ी से दोनों टीमों द्वारा विगत छः माह से भ्रमण किया जा रहा है।	मानकानुसार टीमों को वाहन उपलब्ध कराया जाये।	मुख्य चिकित्साधिकारी
टीमों का मूवमेण्ट रजिस्टर नहीं बनाया गया है जिससे यह सुनिश्चित कर पाना सम्भव नहीं है कि टीमों द्वारा किस क्षेत्र में भ्रमण किया गया है और कितने सदस्य सत्र करने गये हैं।	मूवमेण्ट रजिस्टर नियमित रुप से भरे जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
आर.बी.एस.के. टीम के पास स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपकरण उपलब्ध नही हैं।	अविलम्ब उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।	चिकित्सा अधीक्षक
स्टोर रुम–		
स्टोर रुम में दवाईयों आदि को व्यवस्थित रुप से नहीं रखा गया था व लेबलिंग भी काफी पुरानी थी। रैक भी पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध नहीं थे।	नियमानुसार रख रखाव करने का सुझाव दिया गया।	फार्मासिस्ट
आशा संगिनी,ए0एन0एम0 व सी0एच0ओ0 बैठकः–		
खुशहाल परिवार दिवस, परिवार नियोजन में पुरुष सहभागिता को बढ़ावा देने तथा योजनाओं पर जानकारी प्रदान करने के सम्बन्ध में बैठक की गई।	परिवार नियोजन सम्बन्धी योजनओं पर जानकारी देने के साथ कार्यकर्तावार समीक्षा करते हुए खुशहाल परिवार दिवस, परिवार नियोजन में पुरुष सहभागिता को बढ़ावा देने तथा अत्यधिक लाभार्थियों तक योजनओं का लाभ पहुँचाने एवं नियमित समीक्षा व अभिमुखीकरण बैठकें आयोजित करने का सुझाव दिया गया।	बी0सी0पी0एम0

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–कोन, **सम्पर्क अधिकारी–डा0 धीरज कुमार, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी।**

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
चिकित्सालय परिसरः–		
परिसर व कक्ष साफ–सुथरे पाये गये।	नियमित रुप से परिसर की साफ–सफाई को मेंण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधिकारी
परिसर के अन्दर शिकायत पेटिका लगी थी, किन्तु शिकायते नहीं पायी गयीं।	शिकायत निवारण कमेटी का गठन व रिकार्ड मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधिकारी
5'5 मैट्रिक्स डिस्प्ले नही था। ई0डी0एल0 भी अपडेटेड नहीं था।	जनपद स्तर से 5'5 मैट्रिक्स प्राप्त करने तथा अपडेटेड ई0डी0एल0 का प्रदर्शन प्रतिदिन करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधिकारी /फार्मासिस्ट
आई0ई0सी0ः–		
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 उपलब्ध थी। किन्तु पर्याप्त नहीं थी।	विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई0ई0सी0 जनपद स्तर से प्राप्त कर यथा स्थान डिस्प्ले कराया जाये।	चिकित्सा अधिकारी
बायो मेडिकल वेस्ट–		चिकित्सा अधिकारी
चिकित्सालय में डस्टबिन उपलब्ध थीं। सही प्रकार से उपयोग भी किया जा रहा था।	बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सम्बन्धित समस्त स्टाफ का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधिकारी

मातृत्व स्वास्थ्यः–		
प्रसव कक्ष में डिजिटल घड़ी इनवर्टर से अटैच नही थी व रेडियेन्ट वार्मर लगभग 01 माह से खराब है।	प्रसव कक्ष में डिजिटल घड़ी इनवर्टर से अटैच कराने व रेडियेन्ट वार्मर ठीक कराने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधिकारी
रेफरल सिस्टम व्यवस्थित रूप से नहीं पाया गया।	रेफरलसिस्टम को सुदृढ़ किये जाने हेतु सुझाव दिया गया। रेफरल इन व आउट के रिकार्ड सही प्रकार से रखने की जानकारी दी गई।	सम्बन्धित स्टाफ
बाल स्वास्थ्य :–		
टीकाकरण कक्ष के बाहर प्रचार–प्रसार सम्बन्धी प्रदर्शन पर्याप्त नहीं था। समस्त फीज कार्य करते हुए पाये गये तथा उनमें वैक्सीन उपयुक्त प्रकार से रखी हुई पाई गई।	आई0ई0सी0 सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।	सम्बन्धित स्टाफ
साथिया केन्द्र (किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक)–		
किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर के पास अप्रेन, बैच कम्प्यूटर, प्रिण्टर, आउटरीच बैनर उपलब्ध नहीं पाया गया।	पर्याप्त लाजिस्टिक की अविलम्ब उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
काउन्सलिंग सेवाओं के रजिस्टर का रिकार्ड अपूर्ण पाया गया एवं मासिक रिपोर्ट भी गलत सूचनाओं सहित भरी गयी थी।	रिकार्ड कीपिंग करने के बारे में जानकारी प्रदान की गई व सही प्रकार से मेण्टैन करने के लिए कहा गया।	सम्बन्धित स्टाफ
पीयर एजुकेटर कार्यकम		
पीयर एजुकेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस रिपोर्ट किशोर मित्रता क्लब रिपोर्ट एवं पीयर एजुकेटर कार्यक्रम की मासिक रिपोर्ट ब्लाक पर उपलब्ध नहीं थी।	कार्यक्रम की समस्त रिपोर्ट ब्लाक पर पत्रावली में रक्षित करने एवं मासिक रूप से पीयर एजुकेटर कार्यक्रम की रिपोर्ट यू.पी.एच.एम.आई.एस. पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाये।	चिकित्सा अधीक्षक एवं ब्लाक किशोर स्वास्थ्य समन्वयक/काउंसलर
विफ्स एवं एन.डी.डी. कार्यकम		
ब्लाक पर शिक्षा एवं आई.सी.डी.एस. विभाग से विफ्स रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही है।	शिक्षा विभाग एवं आई.सी.डी.एस. विभाग से प्रतिमाह विफ्स कवरेज रिपोर्ट प्राप्त कर यू.पी.एच.एम.आई.एस. पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
राज्य स्तर से जनपद को 10–19 वर्ष के समस्त लाभार्थियों हेतु विफ्स कार्ड उपलब्ध कराये गये थे। परन्तु जनपदों द्वारा अभी तक ब्लाक को विफ्स कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया।	अविलम्ब लाभार्थियों हेतु जनपद स्तर से विफ्स कार्ड उपलब्ध कराये जाने के लिए कहा गया।	नोडल अधिकारी आर. के.एस.के. एवं डी.ई. आई.सी. मैनेजर
जुलाई माह में एन.डी.डी. कार्यक्रम ब्लाक में आयोजित किया गया था। परन्तु समस्त ए.एन. एम. की एन.डी.डी. रिपोर्ट ब्लाक पर उपलब्ध नहीं थी, जबकि संकलित रिपोर्ट जनपद स्तर पर प्रेषित की गयी है।	कार्यक्रम की उपकेन्द्र स्तर एवं संकलित रिपोर्ट ब्लाक पर पत्रावली में रक्षित करना सुनिश्चित किया जाये।	बी.सी.पी.एम.
आर0बी0एस0के0 कार्यकम–		
आर0बी0एस0के0 की टीमें माइक्रोप्लान के अनुसार स्वाास्थ्य परीक्षण सत्र करने नहीं जा रही है।	माइक्रोप्लान के अनुसार कराया जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
जनपद में एक ही गाड़ी से दोनों टीमों द्वारा विगत छः माह से भ्रमण किया जा रहा है।	मानकानुसार टीमों को अविलम्ब वाहन उपलब्ध कराया जाये।	मुख्य चिकित्साधिकारी

टीमों का मूवमेण्ट रजिस्टर नहीं बनाया गया है जिससे यह सुनिश्चित कर पाना सम्भव नहीं है कि टीमों द्वारा किस क्षेत्र में भ्रमण किया गया है और कितने सदस्य सत्र करने गये हैं।	मूवमेण्ट रजिस्टर उपलब्ध कराने व नियमित रुप से भरे जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
आर.बी.एस.के. टीम के पास स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपकरण उपलब्ध नही हैं।	अविलम्ब उपकरण उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी
आर.बी.एस.के. टीम के एक डाक्टर की ड्यूटी कोविड कंट्रोल रूम में लगे होने के कारण उनके द्वारा स्वास्थ्य सत्रों का आयोजन नहीं किया जाता है।	कोविड कंट्रोल से ड्यूटी से अवमुक्त कर स्क्रीनिंग कराने हेतु सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी
आर.बी.एस.के. की दोनो टीमें एक ही साथ सत्र करने जा रही हैं, जबकि दोनों टीमों की माइकोप्लानिंग अलग–अलग की गयी है।	दोनों टीमों को अलग–अलग कार्यक्रम करने के लिए सुझाव दिया गया, ताकि समयान्तराल में लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।	डी.ई.आई.सी. मैनेजर/चिकित्सा अधीक्षक
आर.बी.एस.के. टीम के द्वारा स्क्रीनिंग रजिस्टर एवं रिपोर्टिंग प्रपत्र में किशोर स्वास्थ्य के लाभार्थियों का विवरण रिकार्डिंग एवं रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है। (31–38 किशोर स्वास्थ्य कॉलम में)	रजिस्टर एवं रिपोर्ट में किशोर स्वास्थ्य के अन्तर्गत स्क्रीनिंग की गयी लाभार्थियों की सूचना नियमित रूप से अंकन करने एवं रिपोर्टिंग करने का सुझाव दिया गया।	डी.ई.आई.सी. मैनेजर/चिकित्सा अधीक्षक
परिवार नियोजन–		
कण्डोम बाक्स लगा था। कण्डोम बाक्स भरे पाये गये।	कण्डोम बाक्स प्रतिदिन भरने व रिकार्ड मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	फार्मासिस्ट
काउन्सलिंग स्टाम्प उपलब्ध नहीं थे।	काउन्सलिंग स्आम्प बनवाने व प्रत्येक सेवाप्रदाता द्वारा काउन्सलिंग करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधिकारी व सम्बन्धित स्टाफ
अन्तरा, पी0पी0आई0यू0सी0डी0, आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन बहुत कम हो रहे हैं।	परिवार नियोजन सेवायें बढ़ाने व शत प्रतिशत फालोअप किये जाने के लिए कहा गया।	सम्बन्धित स्टाफ
नसबन्दी के रिकार्ड अपूर्ण भरे गये थे तथा फॉलोअप कार्ड व प्रमाण पत्र का वितरण नहीं किया गया था।	नसबन्दी के बुकलेट में समस्त आवश्यक सूचनायें भरे जाने व फॉलोअप कार्ड व प्रमाण पत्र का वितरण किये जाने का सुझाव दिया गया। उक्त के सम्बन्ध में बैम को विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई।	सम्बन्धित स्टाफ

जूनियर विद्यालय–चेतगंज

- माइकोप्लान के अनुसार सत्र नहीं कर रही थी एंव टीम के पास उपकरण उपलब्ध नहीं थे।
- आर.बी.एस.के. की दोनों टीमों के द्वारा विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण सत्र किया जा रहा है।
- आर.बी.एस.के टीम के द्वारा बच्चों की लम्बाई की माप सही से नही की जा रही थी तथा स्क्रीनिंग कार्ड में बी.एम.आई. की सूचना भी नहीं भरी जा रही थी।
- विद्यालय में आयरन की नीली गोलियां उपलब्ध पायी गयी। बच्चों को आयरन की गोली खाने में विस्तृत जानकारी थी।
- विफ्स रजिस्टर अपूर्ण पाया गया एवं विफ्स कार्ड विद्यालय में उपलब्ध नहीं कराया गया तथा मासिक रिपोर्ट स्कूल के द्वारा अपने विभाग को नहीं की जा रही है।

सामुदायिक गतिविधियॉ : ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्र।

ग्राम– प्रा0 पा0 ढबिया, ब्लाक–कोन सम्पर्कः ए.एन.एम.–श्रीमती निशा। आशा– राधिका सिंह

टीम द्वारा वी0एच0एन0डी0 सत्र का अवलोकन किया गया। सामुदायिक स्तर की गतिविधियों के आकलन हेतु टीम द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरुप विभिन्न विधाओं के सेवाप्राप्त लाभार्थियों से सम्पर्क किया गया।

- ए.एन.एम.को पर्याप्त जानकारी का अभाव था।
- सत्र स्थल पर ऑगनबाड़ी कार्यकत्री मौजूद नहीं थी। उनके स्थान पर पति मौजूद थे।
- ए0एन0सी0 चेक अप हेतु स्थान उपलब्ध नहीं था।
- बी0पी0 मशीन थी जो खराब थी।
- ए0एन0सी0 एवं पी0एन0सी0 चेक अप की व्यवस्था नही थी।

Scanned with OKEN Scanner

- हाई रिस्क प्रेगनेन्सी रजिस्टर उपलब्ध नहीं था। प्रसूति रिकार्ड, लक्षित दम्पत्ति सूची, आदि उपलब्ध नहीं पायी गयी
- सत्र सलि पर गर्भनिरोधक सामग्री उपलब्ध थीं, किन्तु साप्ताहिक गर्भनिरोधक गोली छाया उपलब्ध नहीं थीं। गर्भनिरोधक सामग्रियों दिखाने के लिए पर्याप्त मात्रा में थीं, लेकिन वितरण नहीं किया गया था।
- कुपोशित बच्चों के परीक्षण के लिये एम0यू0ऐ0सी0 टेप उपलब्ध नहीं था।
- ए0एन0एम0 को एन0आर0सी0 के बारे में जानकारी नहीं थी।

प्राथमिक विद्यालय–ढबिया

प्राथमिक विद्यालय में आयरन की पिंक की टैबलेट उपलब्ध करायी गयी। बच्चों से बात करने पर पता चला की उनके द्वारा आयरन की गोलियों का उपभोग किया जाता है।

- प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य उपस्थित न होने के कारण जूनियर विफ्स रजिस्टर का अवलोकन नहीं किया जा सका।
- विद्यालय में विफ्स अनुपालन कार्ड बच्चों को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरः– ग्राम– लखनपुर, ब्लाक–कोन सम्पर्कः सी0एच0ओ0.–श्रीमती रागिनी।

- हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स के भवन, ब्रांडिंग, पैथोलाजी, ई0डी0एल0 व आवश्यक उपकरणों की मानकानुसार उपलब्धता नहीं थी। भवन हैण्डओवर भी नहीं हुआ है।
- सी0एच0ओ0 को पर्याप्त जानकारी का अभाव था।
- ई0डी0एल0 के अनुसार पर्याप्त दवाईयॉ नहीं थी तथा एक्सपायरी तिथि की दवाईयॉ पायी गयीं। गर्भनिरोधक जॉच किट प्रेगइनफार्म का उपलब्ध था जिस पर मूल्य रु0 58/–अंकित था।
- सी0एच0ओ0 का लैपटाप उपलब्ध नहीं था। सी0एच0ओ0 द्वारा अवगत कराया गया कि टेबलेट नहीं प्रदान किया गया था।
- रिकार्ड कीपिंग बहुत ही खराब था। सेवाओं सम्बन्धी रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे। सिर्फ ओ0पी0डी0 रजिस्टर था जिसकी आधी–अधूरी सूचनायें भरी गयी थीं।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द/हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर–संघमोहाल **सम्पर्क अधिकारी–डा0 गायत्री गुप्ता**

अवलोकनबिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
चिकित्सालय परिसरः–		
परिसर व कक्ष साफ–सुथरे पाये गये। भवन की ब्राण्डिंग हुई है।	नियमित रुप से परिसर की साफ–सफाई को मेंण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	अर्बन कोआर्डिनेटर
आई0ई0सी0ः–		
आई0ई0सी0 उपलब्ध थे। परन्तु समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 पर्याप्त नहीं थे।	अपडेटेड आई0ई0सी0 डिस्प्ले करने का सुझाव दिया गया।	अर्बन कोआर्डिनेटर
ओ0पी0डी0–		
ओ0पी0डी0 में चिकित्सक व मरीज मौजूद थे। रिकार्ड मेण्टेन था।	प्रिण्टेड ओ0पी0डी0 रजिस्टर पर समस्त आवश्यक सूचनायें भरे जाने का सुझाव दिया गया।	अर्बन कोआर्डिनेटर/ चिकित्सक
बायोमेडिकल वेस्ट–		
चिकित्सालय में डस्टबिन उपलब्ध थीं। डस्ट बिन में पॉलीथिन थी। सही प्रकार से उपयोग भी किया जा रहा था।	बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सम्बन्धित समस्त स्टाफ का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराने का सुझाव दिया गया।	अर्बन कोआर्डिनेटर
परिवार नियोजन–		
काउन्सलिंग स्टाम्प उपलब्ध नहीं थे।	काउन्सलिंग स्टाम्प बनवाने व प्रत्येक सेवाप्रदाता द्वारा काउन्सलिंग करने का निर्देश दिया गया।	अर्बन कोआर्डिनेटर/ चिकित्सक
अप्रैल से 15 सितम्बर तक सिर्फ 22 लाभार्थियों को गर्भनिरोधक सामग्रियॉ वितरित की गई। साप्ताहिक गर्भनिरोधक गोली छाया का वितरण ही नहीं किया जा रहा है।	परिवार नियोजन के समस्त विधियों के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया।	सम्बन्धित स्टाफ

Scanned with OKEN Scanner

अन्तरा के द्वितीय व बाद के डोज कम लग रहे हैं।	अन्तरा के द्वितीय व बाद के डोज शत प्रतिशत लगाने हेतु फॉलोअप करने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
गर्भनिरोधक सामग्रियों के वितरण का रिकार्ड देखने को मिला।	समस्त सम्बन्धित रिकार्ड नियमित रुप से मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
पी0पी0आई0यू0सी0डी0, आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन रजिस्टर उपलब्ध नहीं था। आई0यू0सी0डी0 फॉलोअप के पुराने प्रिण्टेड रजिस्टर में रिकार्ड भरे जा रहे हैं।	सम्बन्धित प्रिण्टेड रजिस्टर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	अर्बन कोआर्डिनेटर
मातृत्व स्वास्थ्यः–		
प्रसव कराये जा रहे हैं। किन्तु पर्याप्त व्यवस्थाओं का मानकानुसार अभाव पाया गया।	पर्याप्त व्यवस्था कराये जाने का सुझाव दिया गया।	अर्बन कोआर्डिनेटर/ चिकित्सक
पैथोलाजी–		
पैथोलाजी साफ–सुथरा व आवश्यक उपकरणों से युक्त पाया गया।	नियमित रुप से मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	लैब टेक्नीशियन
स्टोर रुम–		
स्टोर रुम में दवाईयों आदि को व्यवस्थित रुप से रखा गया था व लेबलिंग भी की गई थी। दवाईयॉ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थीं।	नियमानुसार रख रखाव करने व दवाईयों का इवेण्टस आदि के माध्यम से भी वितरण कराया जाये।	अर्बन कोआर्डिनेटर/ फार्मासिस्ट
स्टोर में आयरन की नीली गोली अधिक मात्रा में उपलब्ध पायी गयी, जिसका उपयोग ओ.पी.डी. हेतु किया जा रहा था, जबकि अन्य नीली गोलियों का उपयोग सिर्फ विद्यालयों में आंगनवाडी केन्द्रों पर किशोर–किशोरियों के लिए किया जाना है। इस प्रकार से गलत इंडेट करके आयरन की गोलियां अर्बन पी.एच.सी. द्वारा प्राप्त की गयी है।	आयरन की नीली गोलियों का उपयोग ओ. पी.डी. में नहीं कराने का सुझाव दिया गया तथा अवगत कराया गया कि उपलब्ध गोलियों को शहरी क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय, इण्टर कालेज एवं आंगनवाडी केन्द्रों पर छात्रों एवं किशोरियों के लिए उपलब्ध करा दिया जाये।	अर्बन कोआर्डिनेटर/ फार्मासिस्ट

जिला महिला चिकित्सालय – **सम्पर्क अधिकारी**–डा0 संजय पाण्डेय, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
चिकित्सालय परिसरः–		
परिसर व कक्ष साफ–सुथरे पाये गये।	नियमित रुप से परिसर की साफ–सफाई को मेंण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
5'5 मैट्रिक्स डिस्प्ले नहीं था। ई0डी0एल0 का प्रदर्शन किया गया था, किन्तु तिथि का अंकनन ही था।	जनपदस्तर से 5'5 मैट्रिक्स प्राप्त करने तथा अपडेटेड ई0डी0एल0 का प्रदर्शन प्रतिदिन करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक/फार्मासिस्ट
आई0ई0सी0ः–		
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्य[मों की विभिन्न आई0ई0सी0 उपलब्ध थी। किन्तु पर्याप्त नही थी।	विभिन्न कार्य[मों की अपडेटेड आई0ई0सी0 जनपद स्तर से प्राप्तकर यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया। जनपद पर टीम द्वारा दिये गये अपडेटेड आई0ई0सी0 को जनपद से प्रेषित करने हेतु डी0सी0पी0एम0 से कहा गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
बायोमेडिकल वेस्ट–		मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
चिकित्सालय में डस्टबिन उपलब्ध थीं। डस्ट बिन में अलग–अलग रंग की पॉलीथिन थी। सही प्रकार से उपयोग भी किया जा रहा था।	इसी प्रकार से मेण्टेन करने हेतु चिकित्सालय कर्मियों की प्रशंसा की गई व नियमित रुप से मेण्टेन करते रहने को कहा गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

Scanned with OKEN Scanner

परिवार नियोजन–		
कण्डोम बाक्स लगा था। कण्डोम बाक्स भरे पाये गये। नियमित रुप से रिकार्ड मेण्टेन नहीं हो रहा था।	कण्डोम बाक्स प्रतिदिन भरने व रिकार्ड मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	फार्मासिस्ट
काउन्सलिंग स्टाम्प उपलब्ध नही थे।	काउन्सलिंग स्टाम्प बनवाने व प्रत्येक सेवाप्रदाता द्वारा काउन्सलिंग करने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक व हास्पिटल मैनेजर
अन्तरा, पी0पी0आई0यू0सी0डी0, आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन बहुत कम हो रहे हैं।	परिवार नियोजन सेवायें बढ़ाने व शत प्रतिशत फालोअप किया जाये।	सम्बन्धित स्टाफ
नसबन्दी के रिकार्ड अपूर्ण भरे गये थे तथा फॉलोअप कार्ड व प्रमाण पत्र का वितरण नहीं किया गया था।	नसबन्दी के बुकलेट में समस्त आवश्यक सूचनायें भरे जाने व फॉलोअप कार्ड व प्रमाण पत्र का वितरण किये जाने का सुझाव दिया गया। उक्त के सम्बन्ध में बैम को विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई।	सम्बन्धित स्टाफ
प्रिण्टेड काउन्सलिंग रजिस्टर उपलब्ध नहीं था। काउन्सलर द्वारा अवगत कराया गया कि विगत 01 वर्ष से प्रिण्टेड रजिस्टर उपलब्ध नहीं है।	प्रिण्टेड काउन्सलिंग रजिस्टर अतिशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।	सम्बन्धित स्टाफ
आई.सी.टी.सी. कांउसलर के द्वारा लाभार्थियों की कांउसलिंग सही से नहीं की जा रही है और न ही फॉलोअप किया जा रहा है तथा कांउसलिंग सेंटर पर सभी रिकार्ड अस्त–व्यस्त स्थिति में पाये गये।	सही से कांउसलिंग करने एवं रिकार्ड कीपिंग एवं रिपोर्टिंग करने लिए सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
मातृत्व स्वास्थ्यः– लेबर रूमः		
डिजीटल वाच खराब थी।	ठीक कराने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
रेफरल सिस्टम व्यवस्थित रूप से नहीं पाया गया।	रेफरल सिस्टम को सुदृढ़ किये जाने हेतु सुझाव दिया गया। रेफरल इन व आउट के रिकार्ड सही प्रकार से रखने की जानकारी दी गई।	सम्बन्धित स्टाफ
केस शीट में सभी सूचनायें समय से नहीं भरी गयी थी।	केस शीट पूर्ण रुप से भरे जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
प्रसव पंजिका में कई लाभार्थियों की प्रसव तिथि का अवलोकन करने में पाया गया कि प्रसव तिथि के अनुसार पंजिका में सूचना पृथक–पृथक दिवसों की सूचना क्रमवार न होकर आगे पीछे दर्ज की गई थी।	सूचनायें भरे जाने हेतु जानकारी प्रदान की गई तथा अविलम्ब रिकार्ड अपडेट करने के लिए कहा गया।	अधीक्षक एवं पैरामेडिकल स्टाफ
जिला पूरूष चिकित्सालय –		
टौबैकों कांउसलर के द्वारा लाभार्थियों की कांउसलिंग सही से नहीं की जा रही है और न ही फॉलोअप किया जा रहा है प्रिन्टिड रिपोर्टिंग प्रपत्र एवं आई.ई.सी. मैटेरियल सेंटर पर उपलब्ध नहीं था।	सही से कांउसलिंग करने एवं रिकार्ड कीपिंग एवं रिपोर्टिंग समय से करना सुनिश्चित किया जाए।	
किशोर स्वास्थ्य कांउसलर का काउन्सलिंग सेवाओं के रजिस्टर का रिकार्ड अपूर्ण पाया गया एवं मासिक रिपोर्ट भी गलत सूचनाओं सहित भरी गयी थी।	रिकार्ड कीपिंग सही प्रकार से मेण्टैन करने हेतु निर्देशित किया गया।	अधीक्षक एवं कांउसलर

मुख्य चिकित्साअधिकारी के साथ बैठक व फीडबैक:–

भ्रमण के उपरान्त जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी , अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नोडल आर0सी0एच0), जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला लेखा प्रबन्धक, अरबन कोआर्डिनेटर, मात् स्वास्थ्य परामर्शदाता व डी0आई0सी0 मैनेजर के साथ बैठक किया गया व भ्रमण में पायी गयी बिन्दुवार कमियों एवं भ्रमण दल द्वारा मौके पर दी गयी सहयोग से अवगत कराया गया। भ्रमण टीम द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी को निम्नानुसार फीडबैक दिया गया–

- राज्य स्तर से उपलब्ध कराये गये विफ्स कार्ड को लाभार्थियों हेतु ब्लाक स्तर पर उपलब्ध कराना।
- जनपद में शहरी क्षेत्रों में विफ्स कार्यक्रम का कियान्वयन नहीं किया जा रहा। विफ्स कार्यक्रम का कियान्वयन शहरी क्षेत्र में कराने के लिए सुझाव दिया गया।
- जनपद स्तर से समस्त स्वास्थ्य इकाईयों (शहरी व ग्रामीण) पर मुद्रित समस्त रजिस्टर, प्रपत्र, फालोअप कार्ड्स, वाउचर्स, प्रमाणपत्र व आई0ई0सी0 सामग्री पोस्टर्स, पम्पलेट्स के साथ दीवार लेखन हेतु अपडेटेड आई0ई0सी0 उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।
- जे0एस0वाई0 की उपलब्धि में गिरावट के कारणों को चिन्हित करने व डाईट रजिस्टर प्रिन्टेड उपलब्ध कराने तथा रजिस्टर सही प्रकार से भरे जाने व सत्यापित कराने तथा उसके अनुसार भुगतान कराने के सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित करने का सुझाव दिया गया।
- ए.एन.सी. रजिस्टर, प्रसव रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, जे0एस0वाई0 भुगतान आदि का इंचार्ज द्वारा नियमित अवलोकन कर त्रुटियों को ठीक कराया जाये। प्रसूताओं को डिस्चार्ज के समय जे0एस0वाई0 भुगतान प्रमाणपत्र प्रदान किया जाये।
- सभी स्टैण्डर्ड रजिस्टर के सभी कालम भरे जाने का सुझाव दिया गया।
- दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ससमय अधिकतम व्यय किया जाना। रोजाना भुगतान तथा लेखांकन किये जाने का अनुरोध किया गया।
- जनपद में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स के भवन, ब्रांडिंग, पैथोलाजी, ई0डी0एल0 व आवश्यक उपकरणों की मानकानुसार उपलब्धता नहीं है। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर की ब्रांडिंग एवं अन्य आवश्यक उपकरण, दवाईयॉ आदि अविलम्ब उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।
- समस्त आर.बी.एस.के. टीमों के लिए नियमित रुप से आर.बी.एस.के वाहन की व्यवस्था कराने का सुझाव दिया ताकि स्वास्थ्य परीक्षण सत्र बाधित न होने पाये।
- समस्त कार्यक्रमों की रिपोर्ट को वैलिडेशन कमेटी के द्वारा वैलिडेशन के पश्चात यू.पी.एच.एम.आई.एस. पर अपलोड कराना सुनिश्चित कराने का सुझाव दिया गया।
- अवलोकित किये गये ब्लाक में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की कार्ययोजना उपलब्ध नहीं पायी गयी। उक्त के क्रम में सुझाव दिया गया कि ब्लाक स्तर से सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की कार्ययोजना बनाकर नियमित रुप से चिकित्सा इकाईयों का भ्रमण कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- कमिटेड फंड का 02 माह के अन्तराल में शत् प्रतिशत नियमानुसार उपयोग करने एवं सम्बंधित एफ.एम.आर.कोड में अंकन कराने के लिए सुझाव दिया गया।

AKSrivastava
(अखिलेश श्रीवास्तव)
कार्यक्रम समन्वयक, परिवार नियोजन

(इन्द्रजीत सिंह)
परामर्शदाता, आर0के0एस0के0

Scanned with OKEN Scanner